

सुनीता विलियम्स को जान का खतरा? रूस ने उठाए सुरक्षा कदम

जून में वे एक हफ्ते के लिए स्पेस सेंटर गई थीं, अब अगले साल फरवरी में उनकी धरती पर वापसी होगी

भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो इस समय अंतरिक्ष में अपने साथियों के साथ हैं। पिछले कई महीनों से स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं। जून में वे एक हफ्ते के लिए स्पेस सेंटर गई थीं, लेकिन अब अगले साल फरवरी में उनकी धरती पर वापसी होगी। सुनीता इस समय अंतरिक्ष से जुड़ी कई महत्वपूर्ण स्टडीज पर काम कर रही हैं और वे स्पेस स्टेशन की कमांडर भी हैं। हालांकि हाल के दिनों में अंतरिक्ष यात्रियों की जान को दो बार खतरा मंडराया। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के लिए अंतरिक्ष में मौजूद कचरे के टकराने का खतरा बढ़ गया था। कचरा तेजी से स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ रहा था जिससे सुनीता और उनके साथियों की जान को खतरा था।

ये खतरा सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो बार सामने आ चुका है। खास बात तो ये है कि रूस के प्रोग्रेस 89 कार्गो क्राफ्ट ने समय रहते अपने इंजन को चालू किया जिससे स्पेस स्टेशन को ऊंचाई पर उठाया जा सका और कचरा इससे टक राने से बच गया। अंतरिक्ष में कचरे से सुरक्षा पाने के लिए रूस ने उठाया बड़ा कदम रूस ने इस खतरे से बचने के लिए स्पेस स्टेशन को ऊपर उठाने का फैसला लिया। प्रोग्रेस 89 कार्गो क्राफ्ट ने सा 25 नवंबर) सुबह साढ़े तीन मिनट तक अपने इंजन चालू किए जिससे स्पेस स्टेशन को 500 मीटर की ऊंचाई पर लाया गया और कचरे से टकराने से बचाया गया। इससे पहले, 19 नवंबर को भी इसी तरह का प्रयास किया गया था जब कचरे से बचने के लिए स्पेस स्टेशन



को 5 मिनट तक ऊपर उठाया गया था। कचरे से होने वाली टक्कर से अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में अंतरिक्ष में कचरे की मात्रा बेहद खतरनाक है। पृथ्वी

छोटे-छोटे कचरों की गति इतनी तेज होती है कि वे सेटेलाइट्स और अंतःराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भी खतरे का कारण बन सकते हैं। इस तरह के कचरे से होने वाली टक्कर से अंतरिक्ष यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। अंतरिक्ष में कचरे से सुरक्षा के उपाय अंतरिक्ष में कचरे से निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। नासा और रूस जैसे अंतरिक्ष एजेंसियां समय-समय पर स्पेस स्टेशन को इस कचरे से बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्री लगातार अंतरिक्ष में अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस तरह के खतरे उनके लिए और भी सावधानी की आवश्यकता पैदा करते हैं।

लंदन के ऐतिहासिक मछली-मांसबाजारों पर ताला, सदियों पुरानी विरासत खत्म

लंदन के दो ऐतिहासिक बाजार बि. लिंस्गेट मछली बाजार और स्मिथफील्ड मांस बाजार जल्द ही बंद होने जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार 11वीं शताब्दी से चली आ रही इन बाजारों की कारोबारी परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। शसिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने संसद में एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत इन बाजारों के संचालन की जिम्मेदारी समाप्त की जाएगी। ये बाजार लंदन की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा रहे हैं और स्थानीय बिजनेस के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। पहले इन बाजारों को लंदन के पूर्व में डेगनहेम में स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन महंगाई और निर्माण लागत में भारी बढ़ोतरी के कारण ये योजना रद्द कर दी गई। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग एक अरब पाउंड (1.25 अरब डॉलर) हो चुकी थी जो निगम के लिए प्रबंधित करना मुश्किल हो गया। बढ़ती लागत और आर्थिक दबावों के बीच यह निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण के बजाय बाजारों को बंद कर दिया जाएगा। बाजारों का संचालन 2028 तक रहेगी जारी बाजारों के बंद होने से प्रभावित व्यापारियों को शसिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन ने वित्तीय मुआवजा और व्यापारिक सलाह देने की पेशकश की है। व्यापारियों को अपनी भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय दिया गया है क्योंकि बाजारों का संच. लान 2028 तक जारी रहेगा। निगम ने व्यापारियों के साथ सामंजस्य बनाने और उनके हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है। लंदन की सांस्कृतिक विरासत पर असर इन बाजारों के बंद होने से न केवल व्यापारिक परंपराएं समाप्त होंगी बल्कि लंदन की सांस्कृतिक विरासत पर भी इसका असर पड़ेगा। सदियों से ये बाजार स्थानीय व्यापार, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र रहे हैं। अब यह देखना होगा कि निगम और व्यापारी मिलकर इस बदलाव को कैसे संभालते हैं।

राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रनौत नहीं हुई हाजिर, आगरा कोर्ट ने दी दिसंबर की तारीख

राष्ट्रद्रोह वाद में कंगना रनौत के लिए स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने धारा 200 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ताओं के बयान दर्ज होने के बाद नोटिस भेजा था। जिसमें लिखा था कि अगर विपक्षी को अपना पक्ष रखना है तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में पेश हों। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत के खिलाफ दायर वाद में गुरुवार को सुनवाई हुई। कंगना रनौत को आना था, लेकिन न तो वो आई और नहीं उनके अधिवक्ता। इसके बाद कोर्ट ने 12 दिसंबर की तारीख सुनवाई के लिए दी गई है। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह ने धारा 200 सीआरपीसी के तहत अधिवक्ताओं के बयान दर्ज होने के बाद विपक्षी को नोटिस भेजा था। 26 अगस्त 2024 को भाजपा सांसद कंगना रनौत ने टीवी चैनलों पर दिए साक्षात्कार में किसानों पर अभद्र टिप्पणी की। इसके पहले 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाया था।

दूल्हा-दुल्हन के हुआ वलीमा, मेहमानों ने उड़ाई दावत

मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिला बदार हिस्ट्रीशीटर सलमान के वलीमा समारोह को लेकर मंगलवार दिनभर रस्साकसी का माहौल रहा। दिन में परिजनों ने आरोप भी लगाया कि पुलिस वलीमा समारोह नहीं करने दे रही है, लेकिन आखिरकार रात को वलीमा समारोह हो गया। हालांकि वलीमे की दावत में दूल्हा और दुल्हन शामिल नहीं हुईं और पुलिस भी वलीमा समारोह में नजर बनाए रखी। दरअसल, मेरठ के थाना कोतवाली के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर सलमान को 21 नवंबर को जिला प्रशासन ने शादी से एक दिन पहले मुनादी कर 6 महीने के

निकाह से एक दिन पहले कुख्यात सलमान जिला बदार बिना दूल्हा हुआ गैंगस्टर का वलीमा, अकेली बैठी रही दुल्हन पुलिस की निगेहबानी में हुआ गैंगस्टर सलमान का वलीमा लिए जिला बदार कर दिया था। इसके बाद सलमान ने जिला छोड़ दिया और बताया जा रहा है कि तयशुदा शादी की तारीख को बुलंदशहर में निकाह की रस्म हुई। मंगलवार 26 नवंबर को सलमान का वलीमा समारोह मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के कैसल व्यू मंडप में रखा गया था। सुबह से ही वलीमे के कार्यक्रम को

लेकर रस्साकसी का माहौल था। सलमान के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस वलीमा नहीं होने दे रही है, लेकिन शाम होते-होते आखिरकार वलीमा का कार्यक्रम हो गया। इस वलीमा समारोह पर पुलिस ने नजर रखी कि सलमान न आ सके। सभी आने जाने वालों पर पुलिस ने पूरी नजर बनाए रखी। हालांकि, वलीमे की दावत बिना दूल्हा और दुल्हन के हुई। वहीं सलमान के परिजनों ने भी पुलिस का धन्यवाद जताया कि बिना दूल्हा-दुल्हन के ही सही वलीमा समारोह तो हो पाया।

विधवा पर बनाया शारीरिक संबंध बनाने का दबाव, लेखपाल का अश्लील ऑडियो वायरल, रिपोर्ट दर्ज

बदायूं के बिसौली में विरासत दर्ज करने के लिए आय प्रमाण पत्र व किसान सम्मान निधि का सत्यापन करने के नाम पर विधवा महिला से लेखपाल ने फोन पर अश्लील बातें की। इसका ऑडियो वायरल होने के मामले में पीड़ित महिला ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी है। इधर, एसडीएम राशि कृष्णा ने मंगलवार को ही आरोपी लेखपाल को निलंबित कर तहसीलदार विजय शुक्ला को मामले की जांच सौंप दी है। बिसौली तहसील क्षेत्र के एक गांव निवासी विधवा महिला पिछले छह माह से कृषि भूमि में विरासत दर्ज कराने के लिए लेखपाल के पास चक्कर लगा रही थी, लेकिन लेखपाल उसे टरका देता था। अगस्त में उसने आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया तो लेखपाल ने फिर उसे टरका दिया। इसके बाद विधवा महिला ने लेखपाल को कॉल की, जिसमें लेखपाल ने विरासत दर्ज करने और आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव व अश्लील बातें की। शारीरिक संबंध बनाने का दबाव



बनाया विधवा ने पिछले माह तहसील दिवस में एडीएम से शिकायत की तो लेखपाल ने विरासत दर्ज कर दी। आरोप है कि किसान सम्मान निधि दिलाने और आय प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर लेखपाल विधवा को अकेले मिलने पर जोर डाल रहा था। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस संबंध में बुधवार को पीड़िता कोतवाली पहुंची। जहां उसने लेखपाल पर अश्लील वार्तालाप करने और अवैध संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पीड़ित

महिला ने राज्य महिला आयोग में भी शिकायत भेजी है। इधर, डीएम निधि कृष्णा ने लेखपाल रामवतार यादव को देर रात निलंबित कर दिया। डीएम ने लेखपाल का सर्विस रिकॉर्ड भी तलब किया है। उधर, इंस्पेक्टर विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि विधवा की तहरीर मिली है। चूंकि सरकारी कर्मचारी से जुड़ा मामला है। इसलिए उच्चाधिकारियों से वार्ता कर निर्देश मिलते ही रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

घुंघरू कारोबारी को किया डिजिटल अरेस्ट, 23 लाख रुपये ठगे

एटा के जलेसर क्षेत्र में घुंघरू कारोबारी साइबर अपराधियों के जाल में इस कदर फंस गया कि 23 लाख रुपये गवां बैठा। ठगी की जानकारी के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में घुंघरू कारोबारी 23 लाख रुपये की ठगी का शिकार हो गया। व्हाट्सएप पर आए कॉल को रिसीव किया, तो वो साइबर ठगों के जाल में फंस गया। ठगों ने उसे डिजिटल अरेस्ट कर दो बार में 23 लाख रुपये खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। जब तक उसे ठगी की जानकारी हुई, तब तक देर हो चुकी थी। पीड़ित ने थाना जलेसर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जलेसर के मोहल्ला सराफ

निवासी गिरीश चंद बंसल का सूरज घुंघरू नाम से कस्बे में ही स्टोर है। पीड़ित ने बताया कि 26 नवंबर को उसके पास व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए उसे धमकाना शुरू कर दिया। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से विदेश पैसे भेजे गए हैं। इसके बाद उसे डराना शुरू कर दिया गया। वो इस कदर दहशत में आ गया कि दो बार में उसने 23 लाख रुपये की रकम बताए गए खातों में भेज दी। पीड़ित ने बताया कि पहले उसने 18 लाख 75 हजार 588 रुपये आईडीएफसी बैंक के खाते में भेजे, उसके बाद 4 लाख 40 हजार रुपये एचडीएफसी के खाते में भ.



जे। इतनी बड़ी रकम भेजने के बाद जब उसे अपने साथ हुए इस अपराध की जानकारी हुई तो पसीने छूट गए। पीड़ित ने कोतवाली जलेसर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

